न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2017

सुनील कुमार पुत्र श्री धर्मा जाति रेगर निवासी गायत्री नगर ब्यावर हाल बाकोलिया कॉलोनी मसूदा रोड, ब्यावर जिला–अजमेर। ....**अपीलान्ट**

बनाम

श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री विशन स्वरूप उर्फ विष्णु जाति कुमावत निवासी बाफना गली हाल नेहरू गेट पोखरगंज ब्यावर जिला–अजमेर। ....**रेस्पोन्डेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

आदेश **दिनांक–10.07.2019**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार ब्यावर के समक्ष धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट को बिना साक्ष्य/सुनवाई का मौका दिये, बिना प्रोसिडिंग दर्ज करें, प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए फौरी तौर पर आदेश दिनांक 13.10.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। तहसीलदार ब्यावर के इसी आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

उपस्थित अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों की ताईद करते हुये मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसलीदार ब्यावर के समक्ष दिनांक 18.7.2017 को धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा इस पर पटवारी हल्का, भू0अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच करवाकर अपीलान्ट को बिना साक्ष्य/सुनवाई का मौका दिये, प्रोसिडिंग दर्ज करें एवं विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी किये बिना प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए फौरी तौर पर प्रार्थना पत्र, आदेश दिनांक 13.10.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। तहसीलदार ब्यावर का आक्षेपित आदेश अवैध एवं गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार ब्यावर का आक्षेपित आदेश दिनांक 13.10.2017 निरस्त फरमाया जावें।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली को अवलोकन किया। तहसीलदार ब्यावर के समक्ष अपीलान्ट की गायत्री नगर धर्मा कॉलोनी ब्यावर स्थित ग्राम नरसिंहपुरा के खसरा नं0 403 रकबा 03–19–00 बीधा पर अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा करने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ब्यावर द्वारा विवादित भूमि बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का/भू0अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को पत्र कमांक राजस्व/17/2036 दिनांक 13.10.2017 से सूचित किया कि प्रश्नगत खसरा नं0 403 के पूरे रकबे पर मकानात बने होना तथा घनी आबादी होना पाया गया तथा अप्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी का कब्जा होना नहीं पाया गया। राजस्व रेकार्ड में खसरा नं0 403 रकबा 03—19—00 बीघा भूमि नगर परिषद ब्यावर के नाम दर्ज होने से एवं उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर अकृषि प्रयोजन होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधित प्रावधानों के तहत नही पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार के उक्त आक्षेपित पत्र/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner